भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1749

उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

राजस्व गांव

1749 डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन गांवों को राजस्व गांव घोषित करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्व गांव घोषित किए गए वन गांवों का राज्य-वार ब्यौरा और संख्या क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (संक्षेप में एफआरए) 2006 में अधिनियमित किया गया है, जो वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता देने और निहित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ताकि वन में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जा सके जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका।

धारा 3(1) के तहत निर्धारित अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के पात्र व्यक्तियों और समुदायों को 13 अधिकारों की मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से एफआरए की धारा 3(1) (ज) में सभी वन गांवों, पुरानी बस्तियों, सर्वेक्षण रहित गांवों और वनों में स्थित अन्य गांवों को, चाहे वे दर्ज हों, अधिसूचित हों या नहीं, राजस्व गांवों में बसाने और परिवर्तित करने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमों के नियम 2क के अलावा, इस मंत्रालय ने 2013 में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने की स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

अनुलग्नक

"राजस्व गांव" के संबंध में दिनांक 01/08/2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1749 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करना (राज्य सरकारों से 29.07.2024 तक प्राप्त सूचना के आधार पर)**
1.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार ने दिनांक 22.04.2022 के अपने पत्र सं. एफ-23-2/2021/25-3/384 के माध्यम से 925 वन गावों में से 827 गावों को राजस्व गावों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग ने संयुक्त रूप से दिनांक 26.05.2022 के पत्र सं. 23-2/2021/25-3/484 के माध्यम से वन गावों को राजस्व गावों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 790 वन गावों को राजस्व गावों में परिवर्तित किया गया।
2	महाराष्ट्र	सभी वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया
3	छत्तीसगढ़	428 वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित किया गया
4	पश्चिम बंगाल	86 वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित किया गया
5	ओडिशा	57 वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित किया गया
6	गुजरात	राज्य में 196 वन बस्ती गांवों की पहचान की गई है। संरक्षित क्षेत्रों के 14 गांवों को छोड़कर सभी गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है।
7	उत्तर प्रदेश	7 जिलों में 42 वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
8	कर्नाटक	कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि वन अधिकार अधिनियम संबंधी जिला स्तरीय समिति, दावणगेरे जिले को वन गांवों को राजस्व गांव में परिवर्तित करने के लिए 8 वन गांवों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं।

*****